

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांक: सिस्टम/2004/ए-13/५८


दिनांक: 31/अगस्त/2004

कार्यालय आदेश

पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या MSD/SYS./A-13/2004/68 दिनांक 15.07.2004 में संशोधन में नीति का Interpretation बिन्दुवार निम्नलिखित है:-

1. कार्यालय आदेश संख्या MSD/SYS./A-13/2004/68 दिनांक 15.07.2004 सभी नयी आवासीय भूखण्ड योजनाओं पर व सभी नयी ग्रुप हाउसिंग आवासीय भूखण्ड योजनाओं पर तत्काल प्रभाव लागू होगा।
2. उक्त आदेश सभी पुरानी योजनाओं पर उस तिथि से लागू होगा जब से उन योजनाओं की पूरा निर्धारित नियम व शर्तें समाप्त हो चुकी हैं।
3. जिन योजनाओं पर निर्धारित नियम व शर्तें समाप्त हो जाने के बाद निरास्त्रीकरण की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, उन सभी योजनाओं पर कार्यालय आदेश संख्या MSD/SYS./A-13/2004/68 दिनांक 15.07.2004 में अधिकतम समयानुसार वर्णित दण्ड शुल्क में प्रति छः माही 1% की दर से बढ़ाकर वर्तमान समय तक लगाया जायेगा व कार्यालय आदेश के अनुपालन में आवंटियों को तत्काल अग्रिम कार्यवाही पारम्भ करने हेतु 2 माह का समय दिया जायेगा व भवन निर्माण करके Completion Certificate प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.03.2005 निर्धारित कर दी जायेगी।
4. "First six month extension with the penalty of 1 1/2% of the applicable rate of allotment at that time". इसका अर्थ यह ही लगाया जायेगा कि जिस अवधि का Extension दिया जा रहा है उस समय की प्रचलित आवंटन दरे लगायी जायेगी।

भवदीय,




(एस.के. द्विवेदी)

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफिसर को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (वित्त)।
3. सभस्त प्रबंधक (सम्पत्ति)।
4. गार्ड फाईल



(चन्द्रकान्त त्रिपाठी)

वरिष्ठ कार्यपालक (सिस्टम)